

बिहार सरकार
समाहरणालय, मुंगेर
(जिला आपूर्ति शाखा)

विज्ञापन संख्या :- 486

आम सूचना

दिनांक:- 17/05/2025

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार के विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-प्र0 07- ज0वि0प्र0 (अनुज्ञप्ति)-05/2025- I/235208/2025/खाद्य, पटना, दिनांक-30.04.2025 के आलोक में " बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016" में वर्णित प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र संख्या-14396 दिनांक-10.09.2024 में निहित प्रावधानों के तहत योग्य एवं सक्षम आवेदकों से जन वितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु सदर, मुंगेर अनुमण्डल अन्तर्गत कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध नये रूप से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सदर, मुंगेर अनुमण्डल अन्तर्गत कोटिवार जन वितरण प्रणाली दुकान की रिक्ति निम्न प्रकार से है :-

जिला :- मुंगेर

क्र0	अनुमंडल का नाम	जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुज्ञप्ति हेतु रिक्ति	गैर आरक्षित वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ0 पि0 वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सदर मुंगेर	128	75	13	30	5	0	0	5

1. उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएँ निम्न प्रकार से होगी :-

(i) स्वयं सहायता समूह, (ii) महिलाओं की सहयोग समितियाँ, (iii) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ (iv) शिक्षित बेरोजगार, (v) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु न्यूनतम योग्यता आवेदक का मैट्रिक पास और व्यस्क होना आवश्यक है। परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :-

(i) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी (भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेगें।

(ii) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (disqualified) रहेंगे।

(iii) आटा चक्की के मालिक एवं उसके निकट सम्बन्धियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(iv) अवयस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(v) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(vi) सरकार में लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

समय-समय पर बिहार लक्षित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

इच्छुक व्यक्ति विहित प्रपत्र अनुसूची-1 में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए अनुसूची-2 में अपना आवेदन पत्र भरकर अपने संबंधित अनुमंडल कार्यालय में जमा करेंगे। विहित प्रपत्र के साथ निम्नलिखित कागजात जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

- 1 आवासीय प्रमाण पत्र।
- 2 आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र
- 3 चरित्र प्रमाण-पत्र। (पुलिस अधीक्षक से निर्गत)
- 4 आय प्रमाण पत्र।
- 5 शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- 6 अनियोजन प्रमाण पत्र।
- 7 व्यापार स्थल का विवरणी संबंधी कागजात ।
- 8 पर्याप्त पूँजी का साक्ष्य।
- 9 शपथ पत्र।
- 10 दिव्यांग श्रेणी के लाभ हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

शेष प्रखंडवार/निकायवार/पंचायतवार/वार्डवार एवं कोटीवार रिक्ति एवं विहित प्रपत्र अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 हेतु मुंगेर जिला वेबसाईट www.munger.bih.nic.in या अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति दिनांक-25 जून 2025 के संध्या 5.00 बजे तक अपना आवेदन अनुमंडल कार्यालय, सदर, मुंगेर में जमा करते हुए प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

एनेक्सर -3

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 14396 दिनांक- 10.09.2024 के आलोक में बैकलॉग रहित रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्रस्तावित :-

जन वितरण प्रणाली विक्रेता सदर अनुमंडल मुंगेर का प्रस्तावित रोस्टर विवरणी :-

- (i) कुल स्वीकृत बल- 505
- (ii) कोटिवार कार्यरत- 376 (गैर आरक्षित वर्ग- 103, अनुसूचित जाति- 51, अनुसूचित जनजाति- 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग- 105, पिछड़ा वर्ग- 108 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें- 10)
- (iii) कुल रिक्ति- 128
- (iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु- 377

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (103) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (274) के कार्यरत कर्मियों की संख्या के अधिक है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है। इस प्रकार वर्तमान में कुल रिक्ति 128 पदों का रोस्टर बिन्दु- 378 से 505 तक के विरुद्ध रोस्टर क्लियरेंस करने का प्रस्ताव है।

- (iv) शुद्ध रिक्ति = कुल रिक्ति - बैकलॉग $128-0=128$

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	रिक्ति कॉलम (2-3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	$505 \times 16\% = 80.8 = 81$	51	30
अनुसूचित जनजाति	$505 \times 1\% = 5.05 = 5$	0	5
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	$505 \times 18\% = 90.9 = 91$	105	-14
पिछड़ा वर्ग	$505 \times 12\% = 60.6 = 61$	108	-47
पिछड़े वर्गों की महिलायें	$505 \times 3\% = 15.15 = 15$	10	5
कुल :-		274	40

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना चालू रिक्ति के आधार पर की जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	चालू रिक्ति का 10 % = $128 \times 10\% = 12.8$	13
गैर आरक्षित वर्ग	चालू रिक्ति - (आरक्षित वर्ग + आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनुमान्य पद) = $128 - (40 + 13) = 75$	75

3. तदनुसार कुल रिक्ति 128 पदों का रोस्टर बिन्दु- 378 से 505 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लियरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :-

अनुसूचित जाति- रोस्टर बिन्दु- 378, 386, 392, 398, 404, 410, 416, 424, 428, 434, 440, 448, 456, 462, 468, 474, 478, 486, 492, 498, 504, 382, 388, 394, 400, 402, 408, 414, 420 एवं 426 = 30 पद।

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु- 382, 388, 394, 400, 402, 408, 414, 420 एवं 426 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होन तथा अनमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु अनुसूचित जाति को अनुमान्य कराया गया है।)

(यहाँ अनुसूचित जाति को 30 पद प्राप्त हो रहा है। अतएवं अनुसूचित जाति की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत $30 \times 35\% = 10.5 = 11$ पद अनुमान्य होगा।)

अनुसूचित जनजाति- रोस्टर बिन्दु- 419, 432, 436, 442 एवं 450 = 5 पद।

(यहाँ अनुसूचित जनजाति का 05 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव अनुसूचित जनजाति की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत $5 \times 35\% = 1.75 = 2$ पद अनुमान्य होगा।)

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु- 432, 436, 442 एवं 450 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य कराया गया है।)

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- शून्य रिक्ति

पिछड़ा वर्ग- शून्य रिक्ति

पिछला वर्ग की महिलायें- रोस्टर बिन्दु- 384, 418, 452, 484, एवं 454 = 5 पद।

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु- 454 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु पिछड़ा वर्ग महिला को अनुमान्य कराया गया है।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- रोस्टर बिन्दु- 387, 397, 407, 417, 427, 437, 447, 457, 467, 477, 487, 497 एवं 460 = 13 पद।

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु- 460 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का रोस्टर के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।)

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 13 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत $13 \times 35\% = 4.55 = 5$ पद अनुमान्य होगा।)

गैर आरक्षित वर्ग- रोस्टर बिन्दु- 379, 381, 383, 385, 389, 391, 393, 395, 399, 401, 403, 405, 409, 411, 413, 415, 421, 423, 425, 429, 431, 433, 435, 439, 441, 443, 444, 445, 449, 451, 453, 455, 459, 461, 463, 465, 469, 471, 473, 475, 479, 481, 483, 485, 489, 491, 493, 495, 499, 501, 503, 505, 466, 470, 476, 482, 488, 494, 500, 502, 380, 390, 396, 406, 412, 422, 430, 438, 446, 458, 464, 472, 480, 490 एवं 496 = 75 पद।

(यहाँ गैर आरक्षित वर्ग को 75 पद प्राप्त हो रहा है। अतएव गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत $75 \times 35\% = 26.26 = 26$ पद अनुमान्य होगा।)

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु- 466, 470, 476, 482, 488, 494, 500, 502, 380, 390, 396, 406, 412, 422, 430, 438, 446, 458, 464, 472, 480, 490 एवं 496 अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग का रोस्टर के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।)

उपर्युक्त अनुमान्य करये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा :-

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बन्धिर और श्रवण शक्ति में हास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीडित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वतपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता/संकल्प संख्या-962 दिनांक-22.01.2021 की कंडिका- (8) के खण्ड-(क) से खण्ड- (घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
378 से 505	1	1	1	2	5
कुल	1	1	1	2	5

विभागीय परिपत्र संख्या- 2526 दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2 (दो) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगा।


अनुमंडल पदाधिकारी,
सदर, मुंगेर।

अनुमंडल कार्यालय, सदर मुंगेर

**जन वितरण प्रणाली विक्रेता
के नई अनुज्ञप्ति हेतु रोस्टर**

वर्ष : 2024

अनुमंडल कार्यालय, सदर मुंगेर

(आपूर्ति शाखा)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत जन वितरण प्रणी विक्रेता क रिक्ति /नियुक्ति का रोस्टर

क्र०	आरक्षित				भर्ती वर्ष	पंचायत/वार्ड का नाम	रोस्टर और बिन्दु संख्या	सामान्य लागू किये जाने वाले रोस्टर के अनुसार अनु०जाति/ अनु० जन जातियों/ अ०पि०वर्ग/पि०वर्ग/पि० वर्ग महिला के लिए आरक्षित	नियुक्त व्यक्तियों का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या यह अनु० जाति/ अनु० जनजाति/ अ०पि०व०/ पि०व०म० का है, यदि नहीं तो लिखें पाँचों में कोई नहीं	अगर आरक्षित पद पर गैर आरक्षित अनु० जातियों/अनु० जन जातियों/अ०पि०वर्ग/ पि०व०/पि०व०म०/ का उम्मीदवार नियुक्त हो तो क्या कार्मिक विभाग की सहमति ली गयी।	नियुक्ति / प्राधिकृत या अन्य अधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति	
	अनु० जाति	अनु० जन जाति	अ०पि० वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
प्रखंड :- सदर मुंगेर														
							कुतलपुर	378	अनुसूचित जाति					
							टीकारामपुर	379	गैर आरक्षित					
							शंकरपुर	380	गैर आरक्षित					
							कटरिया	381	गैर आरक्षित					
							मय	382	अनुसूचित जाति					
							मिर्जापुर बरदह	383	गैर आरक्षित					
								384	पिछड़ा वर्ग महिला					
							नौवागढ़ी दक्षिणी	385	गैर आरक्षित					
								386	अनुसूचित जाति					
								387	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग					
							नौवागढ़ी उत्तरी	388	अनुसूचित जाति					
								389	गैर आरक्षित					

नगर निगम, मुंगेर

[illegible]

[illegible]

प्रखंड- बरियारपुर

[illegible]

प्रखंड- जमालपुर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17-04-25
लगातार
विद्या अपूर्ति परीक्षा
मुक्ति

15/07/2025
जिला पदाधिकारी
मुंबेर